

19.04.2022

बहालगत केस नं. गुडामालानी

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा 100/- रूपये का नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पेश कर माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री करने का निवेदन किया। अतः भूमि धारक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा राजस्व ग्राम राणासर खुर्द के खेत खसरा नम्बर 113 व 1137 का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर माफिक विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है:-

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	गांव का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	लगान	वरग
1	मिश्राराम पुत्र मोडाराम कौम साद सा. देह खातेदार	राणासर खुर्द	113	1.0684	वा.दो.	केसरिया
			113	0.6744	वा.दो.	
			2	1.7428	वा.दो.	
2	हनुमानराम पुत्र मोडाराम कौम साद सा. देह खातेदार	राणासर खुर्द	113	0.6717	वा.दो.	लाल
			113	1.0711	वा.दो.	
			2	1.7428	वा.दो.	
3	पेमाराम पुत्र नारणाराम लीलादेवी पत्नी नारणाराम कौम साद सा. देह खातेदार	राणासर खुर्द	113	0.9172	वा.दो.	आसमानी
			137	0.8256	वा.दो.	
			2	1.7428	वा.दो.	
4	मिश्राराम हनुमानराम पि. मोडाराम पेमाराम पुत्र नारणाराम लीलादेवी पत्नी नारणाराम कौम साद सा. देह खातेदार	राणासर खुर्द	113	0.5505	वा.दो.	कथई

भूमि धारक तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्व रेकर्ड में इसी प्रकार अमल दरामद कर अलग अलग खाता नम्बर अंकित किया जावे। संलग्न विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इसी प्रकार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/4/2022 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)

बहालगत केस नं. गुडामालानी



द्वितीय व मुकदमोंमें इकादाई
(सी. प्रो. को. १-१ अर्थात् कोड-१)
(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)
अज अदालत सहायक कलेक्टर (S.D.O.) गुडामालानी
व इजलारा श्री प्रमोद कुमार आर.एस.

वादीगण

1. मिश्राराम पुत्र मोडाराम
जाति साध निवासी राणासर खुर्द तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
बनाम

प्रतिवादीगण

1. हनुमानराम पुत्र मोडाराम
2. पेमाराम पुत्र नारणाराम
3. लीलादेवी पत्नी नारणाराम
जाति साध निवासी राणासर खुर्द तहसील तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
4. शाखा प्रबन्धक बी.सी.सी.बी शाखा नौखड़ा
5. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :- 17/2017

निर्णय दिनांक :- 19/4/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्ई व ... अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि भूमि धारक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा राजस्व ग्राम राणासर खुर्द के खेत खसरा नम्बर 113 व 137 का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर माफिक विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री पारित की जाती है :-

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	गांव का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	लगान	बरंग
1	मिश्राराम पुत्र मोडाराम कौम साद सा. देह खातेदार	राणासर खुर्द	113	1.0684	बा.दो.	केंसरिया
			113	0.6744	बा.दो.	
			2	1.7428	बा.दो.	
2	हनुमानराम पुत्र मोडाराम कौम साद सा. देह खातेदार	राणासर खुर्द	113	0.6717	बा.दो.	लाल
			113	1.0711	बा.दो.	
			2	1.7428	बा.दो.	
3	पेमराम पुत्र नारणाराम लीलादेवी पत्नी नारणाराम कौम साद सा. देह खातेदार	राणासर खुर्द	113	0.9172	बा.दो.	आसमानी
			137	0.8256	बा.दो.	
			2	1.7428	बा.दो.	
4	मिश्राराम हनुमानराम पि. मोडाराम पेमराम पुत्र नारणाराम लीलादेवी पत्नी नारणाराम कौम साद सा. देह खातेदार	राणासर खुर्द	113	0.5505	बा.दो.	कतई

भूमि धारक तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्व रेकर्ड में इसी प्रकार अमल दशमद कर अलग अलग खाता नम्बर अंकित किया जावे। संलग्न विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा फरीकोन अपना अपना वहन करें।

यसबद मेरे दरतखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19/4/2022 को जारी की गई।

(प्रमोद कुमार)
सहायक सहायक कलेक्टर, गुडामालानी
(S.D.O.) गुडामालानी